राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5913 / 2022

अनिल कुमार धाकड़

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी नायब तहसीलदार के पद पर उपखंड अधिकारी कार्यालय, उदयपुरवाटी झुंझुनू में पदस्थापित है। जहां से अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.07.2022 के द्वारा नायब तहसीलदार उप तह. डाबी जिला बूंदी के पद पर किया गया है, जो विरेंद्र सिंह के स्थान पर किया गया है। एवं विरेन्द्र सिंह का स्थानांतरण तह. डीग जिला भरतपुर में किया गया है। श्री विरेन्द्र सिंह ने उक्त आदेश दिनांक 22.07.2022 को इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2901 / 2022 में चुनौती दी, जिस पर अधिकरण आदेश दिनांक 26.08.2022 पारित करते हुए और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि श्री विरेन्द्र सिंह की सेवानिवृत्ति में केवल 9 माह शेष है। विरेन्द्र सिंह का स्थानांतरण आदेश स्थगित करने का आदेश पारित किया। इसके उपरांत राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर ने आदेश दिनांक 30.09.2022 (अनुलग्नक–1) पारित किया। जिसमें अधिकरण के उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को नायब तहसीलदार उप तह. डाबी, के कार्यव्यवस्थार्थ पद से कार्यमुक्त कर एपीओ किया जाकर मुख्यालय

राजस्व मण्डल अजमेर किया। आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण अब नायब तहसीलदार, इन्द्रगढ, जिला बूंदी के रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.07.2022 के द्वारा उप तहसील डाबी, जिला बूंदी में लगाया गया था और उसके पश्चात अपीलार्थी को वहां से एपीओ कर अल्प अवधि में ही अन्य स्थान इन्द्रगढ जिला बूंदी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। निजी प्रत्यर्थी लेखराज स्वामी को नायब तहसीलदार, उप तह. डाबी जिला बूंदी में लगाया गया है। ऐसे में यह प्रकट होता है कि केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी को संमजित करने के दृष्टि से अल्प अवधि में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।

3. अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.11.2022 को अपास्त फरमाया जावे।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
5. अपील में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
7. आदेश आज दिनांक 21.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)